

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2022-23/ 3748  
निमित्त,

दिनांक :- 6/6/2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing Row from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (raj) Proposal No.FP/RJ/OFC/51041/2020

संदर्भ:- भारत सरकार का ईडीएस का पत्रांक 18.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित ईडीएस के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा तीन बिन्दुओं पर लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति उप वन संरक्षक बॉसवाडा द्वारा उनके पत्रांक /प 0 14 F.C.A. /उवसं/2021/2968 दिनांक 19.05.2022 से की जाकर प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उप वन संरक्षक, बासवाडा से प्राप्त वांछित प्रत्युत्तर बिन्दुवार निम्नानुसार तैयार कर इस कार्यालय की सहमति के साथ मूल ही तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	Detailed Compensatory Afforestation scheme for plantation of minimum 100 saplings shall be submitted along with maps and kml file.	150 पौधे लगाने की स्कीम संलग्न है।
2	Detail of the extent of violation shall be submitted.	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में विस्तृत विवरण की छायाप्रति संलग्न है।
3	Detailed Penal NPV calculation shall be submitted.	प्रकरण में एनपीवी की गणना संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। (तीन प्रतियों में। )

भवदीय,

(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

दिनांक :- 6/6/2022

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2022-23/ 3749

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, बॉसवाडा को उनके पत्रांक 2968 दिनांक 19.5.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।